<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3413

15 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात का निर्यात

3413. श्री रवनीत सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक देशों को होने वाले इस्पात के निर्यात में अत्यधिक कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा हमारे घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यू॰एस॰) से भारत को वरीयता प्राप्त व्यापारिक दर्जा प्रदान करने के लिए राजनयिक स्तर पर संपर्क किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): वर्ष 2017-18 (9.62 मिलियन टन) की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारत के कुल इस्पात निर्यात में 34% तक की कमी आई है और अब 6.36 मिलियन टन हो गया है।

(ख): अनुचित बाह्य प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए उचित व्यापारिक उपाय जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाए गए हैं। सरकार ने 53 इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेशों को भी अधिसूचित किया है जो घरेलू उत्पादन और आयात, दोनों के लिए लागू होता है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मानव, पशु और वनस्पति की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जनहित में कार्यान्वित किया गया है।

(ग): व्यापार संबंधी मुद्दे भारत तथा यूएस के बीच चल रहे आर्थिक संबंधों पर चर्चा का एक हिस्सा हैं।

****